राजस्थान–सरकार
निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
चतुर्थ तल, नेहरू सहकार भवन, जयपुर–302005
Ph. 0141-2204480

https://sipf.rajasthan.gov.in sadd.sys.sipf@rajasthan.gov.in add.sys.sipf@rajasthan.gov.in

---

क्रमांकः एफ.93/कम्प/ऑनलाईन प्रोसेस/2025/**1080-1130** दिनांकः **22-01-2025**

परिपत्र

कार्मिक के सेवानिवृत्ति उपरान्त एसआईपीएफ पोर्टल पर जीपीएफ का अन्तिम भुगतान होने के पश्चात जैसे–जैसे समय व्यतीत होता है, अधिकतर प्रकरणों में लेजर में कुछ ऋणात्मक राशि दिखाई देती है। विदित हो कि एसआईपीएफ पोर्टल पर जीपीएफ के ब्याज की गणना की वही विधि अपनाई गयी है जिस विधि से जीपीएफ योजना में वर्षों से ऑफलाईन/मैनुअल ब्याज की गणना की जा रही थी। जीपीएफ लेजर में अन्तिम शेष के रूप में प्रदर्शित होने वाली ऋणात्मक राशि की समस्या के निराकरण करने हेतु जीपीएफ अन्तिम स्वत्व के भुगतान पर कार्मिक की जीपीएफ लेजर में गणना को फ्रिज कर दिया गया है एवं भविष्य में उक्त कार्मिक के लेजर में अपडेट किये जाने पर रिफण्ड अथवा रिकवरी की कार्यवाही करनी हो तो उसके लिए पृथक से यूटिलिटी बनाकर जिला कार्यालयों में डिलींग असीसटेंट को उपलब्ध करवा दी गई है, जिसका वर्कफ्लो निम्नानुसार है :–

1. सेवानिवृत्त कार्मिक का वर्कफ्लो के तहत लेजर अनफ्रिज करना।
2. सेवानिवृत्ति पश्चात बकाया कटौतियों के इंद्राज करनाः–
   GPF > CLAIMED OLD LEDGER
3. सेवानिवृत्त कार्मिक का वर्कफ्लो के तहत लेजर फ्रिज करना।
4. अवशेष राशि के भुगतान अथवा अधिक भुगतान की गई राशि की वसुली हेतुः–
   APPLICATION > CLAIM REFUND AND RECOVERY

उक्त कार्य पश्चात सुपरवाईजर एवं यूनिट हेड अपने पेंडिंग टास्क में जांच कर रिजेक्ट अथवा अप्रूव कर सकते है।

(सुनील चंद बंसल)
वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक, सिस्टम

क्रमांकः एफ.93/कम्प/ऑनलाईन प्रोसेस/2025/**1080-1130** दिनांकः **22-01-2025**
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रानि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
2. वरिष्ठ अतिरिक्त/अतिरिक्त निदेशक, सतर्कता/बीमा/प्रानि/जीपीएफ–2004/विधि एवं प्रशिक्षण/शिकायत निवारण, राज्य बीमा एवं प्रानि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, राज्य बीमा एवं प्रानि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रानि विभाग, समस्त संभाग कार्यालय।
5. संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रानि विभाग, समस्त जिला कार्यालय।

Signature valid
Digitally signed by Sunil Chand Bansal
Designation : Senior Additional Director
Date: 2025.01.22 17:33:19 IST
Reason: Approved